(ग) भत्ते एवं अनुलाभ

218 (1) उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति–इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन–शिलांग (मेघालय) में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर लोक उद्यम विभाग के तारीख 12.6.90 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निर्देश हुआ है। इस ज्ञापन के पैरा 9.12 में उन दरों का उल्लेख किया गया है, जिन दरों पर केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जा सकता था। उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति (एच.पी. पी.सी.) ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 11.15 में अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश भी की थी कि लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय महंगाई भत्ता पाने वाले के भावी वेतनमानों को, 1987 में देय पुररीक्षण के समाप्त होने पर, ध्यान में रखते हुए तारीख 3.3.92 के आपने कार्यालय ज्ञापन सं.–2(8)/91 डी.पी.ई (डब्ल्यू.सी) द्वारा उपयुक्त आदेश जारी किए गये थे, जिन में सी डी ए पैटर्न और साथ ही साथ आई डी ए पैटर्न के अंतर्गत केन्द्रीय लोक उद्यम विभागों के मकान किराए भत्ते के भुगतान के विनिमयन नियमन शिलांग के लिए प्राचलों का वर्णन किया गया था। इन आदेशों के अनुसार शिलांग में तैनात लोक उद्यमों के कर्मचारी मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर मकान किराए भत्ते के भुगतान के पात्र हैं, क्योंकि शिलांग को ''ग'' श्रीणी में नगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. तथापि प्रशासनिक मंत्रालयों और कुछ लोक उद्यमों जिनके कार्यालय शिलांग में स्थित हैं, ऐसे अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किा गया है कि यहां तक शिलांग में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में भी सरकारी कर्मचारियों को ''क'' ''ख'' ''ख2'' के नगरों की लागू दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, अत: उन्होंने अनुरोध किया था कि लोक उद्यमों के कर्मचारियों को भी, शिलांग में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य राशि के बराबर की दरों पर मकान किराए भत्ते के भुगतान का पात्र बनाया जाना चाहिए।

3. इस विभाग में इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की ई है। इस संदर्भ में यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मकान किराया भत्ते का भुगतान शहरों के वर्गीकरण के संदर्भ में स्वीकार्य मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर किया जाता है। तथापि सरकार द्वारा शिलांग के साथ पाहले ही किये जाने वाले विशेष व्यवहार और लोक उद्यमों के कर्मचारियों द्वारा झेली जा रही कठिनाई के कारण केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति और औद्योगिक महंगाई भत्ता पद्धति, दोनों का अनुसरण करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यम, शिलांग (मेघालय) में नियुक्त अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार मकान किराया भत्ते का भुगतान को विनियंत्रित कर सकते हैं:–

वे कर्मचारी जो 1.1.86 की स्थिति के अनुसार 31.12.88 तक केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति पर थे और उच्चतम न्यायालय के तारीख 3.6.90 के आदेशों के अंतर्गत केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति पर वेतन लेते रहे।	वे कर्मचारी जो औद्योगिक महंगाई भत्ता पद्धति पर हैं, इनमें से ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जिन्होंने केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति का अनुसरण किया था, वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें 1.1.89 को या इसके बाद नियुक्त, पदोन्नत या आमेलित किया गया है।

प्रतिमाह रूपए–

मूल वेतन सीमा	मकान कि. भत्ता	मूल वेतन सीमा	मकान कि. भत्ता
रू. 750–949	150	1350 रू.	150
रू. 950–1499	250	रू. 1351 तथा इससे अधिक किन्तु 2000 रू. से कम	250
रू. 1500–2799	450	रू. 2000 तथा अधिक किन्तु 3500 रू. से कम	450

रू. 2800–3599	600	रू. 3500 तथा अधिक किन्तु 4500 रू. से कम	600
रू. 3600–4499	800	रू. 4500 तथा अधिक किन्तु 6000 रू. से कम	800
रू. 4500 तथा अधिक	1000	6000 रू. तथा अधिक	1000

4.1 शिलांग में नियुक्त कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें उच्चतम न्यायालय के तारीख 3.5.90 के आदेशों के अंतर्गत केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में रखा गया था, उक्त अधिसूचित दरों पर मकान किराया भत्ते के भुगतान की प्रभावी तारीख 1.12.88 होगी। ऐसा लोक उद्यम विभाग के तारीख 12.6.90 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में मकान किराया भत्ते के भुगतान पर पैरा 9.1.2 के उप पैरा (II) में निहित अनुदेशों में आंशिक संशोधन करके किया जाएगा। तारीख 1.1.98 तथा तारीख 30.11.88 के बीच की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता इन कर्मचारियों के लोक उद्यमों द्वारा, लोक उद्यम विभाग के तारीख 12.6.90 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 9.1.2 के उप पैरा (II) में निहित अनुदेशों के अनुसार विनियंत्रित किया जाना था।

4.2 इन कर्मचारियों और आर्यपालकों के संबंध में जिनके वेतनमान मजदूरी संबंधी बातचीत के चौथे दौर के कारण तथा लोक उद्यम विभाग के तारीख 4.4.90 के आदेशों के अंतर्गत संशोधित किए गए हैं और जो औद्योगिक महंगाई भत्ता पद्धति पर हैं या रखे गए हैं और शिलांग में नियुक्त हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उक्त तालिका के कॉलम (11) में दर्शाई गई दरों के अनुसार मकान किराया भत्ते को विनियंत्रित किया जा सकता है। इनके मामले में प्रभावी तारीख 1.1.87 होगी। ये आदेश तारीख 3.3.92 के डी डी ई के कार्यालय ज्ञापन 2(8)/91–डी पी ई (डब्ल्यू सी) के पैरा 4 के उप पैरा (I) में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हैं ।

5. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंगर्तत आने वाले सार्वजनिक उद्यमों की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्त को इनके ध्यान में लाएं।

(2 जनवरी, 1995 का का.ज्ञा.सं. 2(43)/90–डी पी ई (डब्ल्यू सी)